

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन

के तहत जनपद के समस्त ग्रामीण परिवारों को नियमित/निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने, आई०जी०आर०एस० शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, जे०जे०एम० डैशबोर्ड पर दर्ज 56 बाधित ग्रामों (Hindrance) के त्वरित समाधान, मार्ग चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न तकनीकी बाधाओं के निस्तारण एवं कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुखों (State Heads) व परियोजना प्रबन्धकों की उपस्थिति में कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, मीरजापुर की अध्यक्षता में

आहूत समीक्षा बैठक का कार्यक्रम।

अध्यक्षता : जिलाधिकारी, मीरजापुर।

तिथि : 24.09.2026

समय : मध्याह्न: 01:00 बजे

स्थान/माध्यम : कलेक्ट्रेट सभाकार कक्ष, मीरजापुर।

- उपस्थिति : 1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मीरजापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड (P.D.), मीरजापुर।
4. सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-2 (C.D.-2), मीरजापुर।
5. सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
6. समस्त राज्य प्रमुख (State Heads), कार्यदायी संस्थाएं, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।
7. समस्त परियोजना प्रबन्धक (Project Managers), कार्यदायी संस्थाएं, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट मीरजापुर।
8. टीम लीडर, टी०पी०आई० (TPI), मीरजापुर।
9. टीम लीडर, पी०एम०सी० (PMC), मीरजापुर।

जनपद मीरजापुर के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की प्रगति की गहन समीक्षा करने, निर्माण कार्यों में आ रही अंतर-विभागीय बाधाओं को दूर करने तथा जन-सामान्य को सुचारु एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के मुख्य विचारणीय बिंदु (Agenda) निम्नवत हैं:

1. नियमित एवं निर्बाध जलापूर्ति (Regular Water Supply):

जल जीवन मिशन के अंतर्गत आच्छादित ग्रामों में रोस्टर के अनुसार नियमित, पर्याप्त एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति की समीक्षा।

2. जे०जे०एम० डैशबोर्ड पर बाधित 56 ग्राम (Hindrance on JJM Dashboard):

जे०जे०एम० पोर्टल/डैशबोर्ड पर 56 ग्रामों में दर्ज विभिन्न तकनीकी, भूमि एवं अंतर्विभागीय बाधाओं (Hindrances) का बिंदुवार त्वरित निस्तारण।

3. आई०जी०आर०एस० एवं जनसुनवाई शिकायतों का समाधान (IGRS & Public Grievances):

आई०जी०आर०एस० पोर्टल तथा जनसुनवाई में प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध निस्तारण एवं असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों का पुर्ननिस्तारण।

4. मार्ग चौड़ीकरण के दौरान पाइपलाइन क्षति (Road Widening Issues):

लोक निर्माण विभाग (PWD) व अन्य विभागों द्वारा कराए जा रहे मार्ग चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों के पुनरुद्धार, गहराई में शिफ्टिंग एवं दोषी एजेंसियों पर एफ०आई०आर०/कार्रवाई।

5. कार्यदायी संस्थाओं के राज्य प्रमुखों (State Heads) की जवाबदेही एवं मैनपावर:

कार्यदायी संस्थाओं (NCC, GVPR, Megha, Ramky, GA Infra, Multiurban) द्वारा न्युक्ति Technical team, पंप ऑपरेटर्स एवं कुशल मैनपावर की तैनाती तथा दी गई समय-सीमा पर जलापूर्ति सुनिश्चित कराश जाना।

कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति समीक्षा एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत बिंदुवार निर्देश:-

1. मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (M/s Megha Engineering & Infrastructures Ltd.):

समीक्षा के दौरान जमालपुर ब्लॉक के ग्राम बिसेसरपुर माफी एवं जमालपुर मू.बरईपुर में पर्याप्त वाटर प्रेशर न मिलने के कारण जलापूर्ति बाधित होने की गम्भीर समस्या पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त दोनों ग्रामों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति बहाल करने हेतु नए ट्यूबवेल बोरिंग के निर्माण की तत्काल स्वीकृति प्रदान की गई। संस्था द्वारा नए ट्यूबवेल हेतु 10x10 फीट भूमि की आवश्यकता (Requirement) जताई गई, जिस पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं क्षेत्रीय लेखपाल से तत्काल समन्वय स्थापित कर संस्था को प्राथमिकता पर 10x10 फीट विवाद-रहित भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट किया गया कि भूमि आवंटन में यदि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या स्थानीय जटिलता उत्पन्न होती है, तो अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) तत्काल सीधे अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे ताकि अपने स्तर से प्रकरण का त्वरित निस्तारण कराया जा सके। इसी क्रम में संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग (खंड-2) के अंतर्गत कोठिलवा, रामपुर सक्तेशगढ आदि ग्रामों में अतिक्रमण के कारण अप्रोच क्लियर नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से पाइपलाइन बिछाने का कार्य लंबित है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (खंड-2) को कड़े निर्देश दिए गए कि वे कार्यदायी संस्था के साथ तत्काल संयुक्त रूप से समन्वय बनाकर स्थल का अप्रोच क्लियर कराएं तथा पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा चेतावनी दी गई कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बरतने पर संबंधित संस्था अथवा अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक व विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत संस्था को सख्त हिदायत दी गई कि भूमि उपलब्ध होते ही अविलंब नए ट्यूबवेल का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए तथा संस्था के अंतर्गत आने वाले समस्त अवशेष ग्रामों में आगामी 15 दिवस के भीतर प्रत्येक दशा में कार्य पूर्ण कर शत-प्रतिशत जलापूर्ति संतृप्ति (100% Saturation) सुनिश्चित की जाए। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि केवल 15-20 मिनट जलापूर्ति देकर कागजी संतृप्ति दिखाना पूर्णतः अमान्य होगा; यद्यपि पंप ऑपरेटर द्वारा टंकी से पानी छोड़ा जा रहा हो, फिर भी यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक घर में सुबह कम से कम 02 घंटे तथा शाम को कम से कम 02 घंटे पर्याप्त प्रेशर के साथ नियमित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

2. मेसर्स जी०ए० इंफ्रास्ट्रक्चर (M/s GA Infra):

समीक्षा के दौरान संस्था की प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि गत एक माह में संस्था द्वारा 23 ग्रामों में कार्य कराया गया है, जिसमें से कुछ ग्रामों को पूर्णतः संतृप्त कर लिया गया है तथा शेष में आंशिक रूप से जलापूर्ति प्रारंभ की गई है। जे०जे०एम० डैशबोर्ड पर प्रदर्शित 33 ग्रामों में मार्ग चौड़ीकरण (Road Widening) के कारण पाइपलाइन क्षति एवं बाधित कार्य की समीक्षा की गई। संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि चौल्ह से गोपीगंज मार्ग पर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड (PWD-PD) द्वारा अप्रोच क्लियर न दिए जाने, रास्ते में दुकानें व मकान आदि का अतिक्रमण होने के कारण पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। संस्था के उक्त कथन के क्रम में बैठक में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) एवं अधिशासी अभियन्ता (जल निगम) द्वारा तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2026 को उक्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जिसमें संपूर्ण मार्ग पर नहीं बल्कि मात्र 70 मीटर के क्षेत्र में ही अतिक्रमण/बाधा पाई गई थी। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता (जल निगम) को सख्त निर्देश दिए गए कि वे संस्था से वार्ता कर उक्त 70 मीटर क्षेत्र में ट्रेंचलेस (HDD Method) तकनीक के माध्यम से पाइपलाइन बिछाना सुनिश्चित कराएं तथा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) से तत्काल समन्वय स्थापित कर मार्ग का अप्रोच क्लियर कराएं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रकरण के निस्तारण हेतु यदि कोई विशेष प्रशासनिक सहायता आवश्यक हो, तो अविलंब अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया जाए, किंतु लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय

1

खंड) से समन्वय बनाकर इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूर्ण कराया जाए। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा मझवा ब्लॉक के लरवक, शिखर ब्लॉक के कुसहा, मझवा ब्लॉक के दामोदरपुर तथा सिटी ब्लॉक के कुटहा मानस ग्रामों में जलापूर्ति का प्रेशर बढ़ाने हेतु नए ट्यूबवेल निर्माण के लिए 15x15 मीटर भूमि की आवश्यकता जताई गई, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) को संबंधित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं क्षेत्रीय लेखपाल से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर 15x15 मीटर भूमि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए गए। अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि जिन स्थानों पर नई भूमि की आवश्यकता है, वहाँ भूमि उपलब्ध होते ही अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए तथा नई भूमि वाले प्रकरणों को छोड़कर अवशेष समस्त ग्रामों में आगामी 15 दिवस के भीतर प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर गाँवों को शत प्रतिशत सैचुरेट (100% Saturate) करना सुनिश्चित करें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट किया गया कि कार्यदायी संस्था किसी भी दशा में 15 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण कर पानी की जलापूर्ति प्रत्येक गाँव में सैचुरेट करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि 100% सैचुरेट का मतलब यह कदापि नहीं होना चाहिए कि आप गाँव में केवल 15 से 20 मिनट पानी देकर उसे सैचुरेट (संतृप्त) घोषित कर दें; यह स्थिति किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी। प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक घर में सुबह कम से कम 02 घंटे तथा शाम को कम से कम 02 घंटे पर्याप्त प्रेशर के साथ नियमित पेयजल मिलना ही चाहिए। इसके लिए संस्था किसी भी दशा में अपनी विशेषज्ञ टीमों, (Work Teams) एवं पंप ऑपरेटरों की संख्या तत्काल बढ़ाना सुनिश्चित करें।

3. मेसर्स रामकी-बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर (M/s Ramky-Baba(JV) Infrastructure):

समीक्षा के दौरान मेसर्स रामकी के अंतर्गत आच्छादित ग्रामों की प्रगति का अवलोकन किया गया, जिस पर संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि उनके क्षेत्रांतर्गत कुल 19 ग्रामों में समस्या थी, जिसमें से 10 ग्रामों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 09 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। संस्था द्वारा बताया गया कि अवशेष ग्रामों के अलावा 04 ग्रामों चपघना, भीटी, देवापुरा पटकौली एवं जौसरा में ट्यूबवेल निर्माण का कार्य कराया गया है, जिनमें से तीन ग्रामों (चपघना, भीटी एवं देवापुरा पटकौली) में कमीशनिंग का कार्य चल रहा है, परंतु जौसरा में स्थानीय जिला पंचायत सदस्य द्वारा नाली निर्माण कार्य के दौरान मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दिए जाने के कारण कार्य बाधित है। संस्था के उक्त तर्क पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यंत रोष एवं असंतोष व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया गया कि संस्था द्वारा ग्रामों में निर्धारित मानक के अनुसार पर्याप्त गहराई (Depth) में पाइपलाइन नहीं बिछाई गई थी, जिस कारण यह क्षतिग्रस्त हो रही है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं कार्यदायी संस्था की है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिए गए कि संस्था अपनी कमियाँ एवं बहानेबाजी को छोड़कर तत्काल नई पाइपलाइन तथा मरम्मत व री-लेयिंग का कार्य पूर्ण कराकर गाँव को शत प्रतिशत पूर्ण करे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जौसरा ग्राम सहित संस्था के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में आगामी 15 दिवस के भीतर प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत जलापूर्ति संतृप्ति (100% Saturation) सुनिश्चित की जाए। संस्था समस्त मटेरियल एवं संसाधनों की व्यवस्था किस प्रकार करती है, यह उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है, जिलास्तर पर प्रत्येक गाँव में 100% जलापूर्ति ही अपेक्षित है। इसी क्रम में संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि जे०जे०एम० डैशबोर्ड पर प्रदर्शित 04 ग्रामों में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा मार्ग चौड़ीकरण के दौरान पाइपलाइन को दो बार क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके कारण जलापूर्ति बाधित हो रही है एवं पानी की सप्लाई में गम्भीर समस्या आ रही है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि संस्था PWD से समन्वय स्थापित कर उक्त चार ग्रामों में भी निर्धारित मानक के अनुसार पर्याप्त गहराई में पुनः पाइपलाइन बिछाते हुए अविलंब कार्य समाप्त करे तथा प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत जलापूर्ति शुरू करना सुनिश्चित करे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अंतिम चेतावनी दी गई कि यदि 15 दिवस की दी गई समय-सीमा के भीतर समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति बहाल नहीं की जाती है, तो संस्था के विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराते हुए कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

4. मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड (M/s NCC Limited):

समीक्षा के दौरान संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 05 नए ग्रामों में शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति बहाल कर संतृप्त किया गया है तथा नए प्राप्त हो रहे गृह संयोजनों (Connections) को भी तत्परता से आच्छादित किया जा रहा है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्था को अवगत कराया गया कि दिनांक 15 सितम्बर

5

2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम पंचायत दुहौहा के राजस्व ग्राम भवानीपुर में स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा मात्र 15 मिनट जलापूर्ति मिलने की गम्भीर शिकायत की गई थी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जलापूर्ति का रोस्टर केवल कागजी आंकड़ों या जल निकाय स्तर तक सीमित न रहे; धरातल पर उपभोक्ताओं को मात्र 15 मिनट पानी मिलना पूर्णतः अनुचित व अमान्य है। प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक घर में सुबह एवं शाम कम से कम 02-02 घंटे पर्याप्त प्रेशर के साथ जलापूर्ति होना अनिवार्य है। तदोपरांत संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व ग्राम गलरा स्थित सी०डब्ल्यू०आर० तथा ग्राम बड़ौला में UPPCL द्वारा इंडिपेंडेंट फीडर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, परंतु बड़ौला में वन विभाग (Forest Department) की भूमि आने के कारण पोल शिफ्टिंग में समस्या आ रही है, जिससे कार्य में विलंब हो रहा है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि जब तक इंडिपेंडेंट फीडर का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक संस्था डी०जी० सेट (DG Set) के माध्यम से पंप चलाकर जलापूर्ति बहाल रखे; किसी भी स्थिति में पानी की सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा अनुरोध किया गया कि 04 ग्रामों—गढ़वा, खरीहट खुर्द, कोटार एवं बैसोइबलाय पहाड़ आदि के टेल-पॉइंट (अंतिम छोर) पर पानी का प्रेशर कम होने के कारण आपूर्ति सुचारु करने हेतु बूस्टर पंप स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए 5x5 मीटर भूमि की आवश्यकता जताई गई। साथ ही गलरा स्थित CWR-5 तक निर्माण सामग्री ले जाने हेतु अप्रोच रोड के लिए भूमि की समस्या से भी अवगत कराया गया। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) को सख्त निर्देश दिए गए कि वे संबंधित उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार एवं लेखपाल से तत्काल समन्वय स्थापित कर CWR-5 के अप्रोच रोड का कार्य पूर्ण कराएं तथा बूस्टर पंप हेतु आवश्यक 5x5 मीटर भूमि प्राथमिकता पर अविरोध आवंटित कराना सुनिश्चित करें; यदि इस प्रक्रिया में कोई भी समस्या आती है तो अपर जिलाधिकारी तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं। साथ ही कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि नवीन भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर, आगामी 15 दिवस के भीतर समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति संतृप्ति का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संस्था के विरुद्ध अत्यंत कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

5. मेसर्स मल्टीअर्बन (M/s Multiurban):

समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था मेसर्स मल्टीअर्बन की प्रगति का अवलोकन किया गया, जिस पर संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके क्षेत्रांतर्गत भूमि आवंटन अथवा उपलब्धता से संबंधित कोई भी शिकायत या आवश्यकता लंबित नहीं है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत किए जाने पर कि समस्त आच्छादित ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति कब तक पूर्ण कर ली जाएगी, संस्था द्वारा 15 दिवस के भीतर पंपिंग चालू करने तथा उसके उपरांत लीकेज व मरम्मत आदि संबंधी अवशेष समस्याओं का निस्तारण कराने की बात कही गई। संस्था के उक्त गैर-जिम्मेदाराना उत्तर पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक रोष एवं असंतोष व्यक्त किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्था को अवगत कराया गया कि 15 दिवस की अवधि के उपरांत मरम्मत या लीकेज सुधार के नाम पर अतिरिक्त समय दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है; संस्था को किसी भी प्रकार की शिथिलता की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्था को स्पष्ट एवं अंतिम निर्देश निर्गत किए गए कि आगामी 15 दिवस की निर्धारित समय-सीमा के भीतर-भीतर प्रत्येक दशा में मरम्मत, लीकेज सुधार तथा तकनीकी कमियों को पूर्णतः दूर करते हुए समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति (100% Saturation) प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। अधोहस्ताक्षरी ने चेतावनी दी कि दी गई समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण न किए जाने की स्थिति में संस्था के विरुद्ध तत्काल कठोर अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

6. मेसर्स जी०वी०पी०आर० (M/s GVPR):

समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था मेसर्स जी०वी०पी०आर० द्वारा अवगत कराया गया कि गत एक माह में संस्था द्वारा 10 ग्रामों में प्रगति लाते हुए कार्य सम्पादित कराया गया है तथा आगामी 15 दिवस के भीतर इन्हें पूर्णतः संतृप्त कर लिया जाएगा। संस्था द्वारा विशेष रूप से अवगत कराया गया कि ग्राम हरदी कला ओ०एच०टी० (ओवरहेड टैंक) से लगभग 22 किलोमीटर की अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण वहाँ तक पर्याप्त प्रेशर के साथ जलापूर्ति पहुँचाने में अत्यधिक कठिनाई आ रही है। साथ ही संस्था द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लेदुकी ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत विकास खंड पटेहरा में दो फीडरों (पटेहरा एवं दीपनगर) से विधुत

8

आपूर्ति प्राप्त होती है, परंतु विगत डेढ़ माह से दोनों फीडरों के ट्रांसफार्मर में तकनीकी समस्या होने के कारण निर्बाध विधुत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। संस्था द्वारा प्रस्तुत उक्त कारणों पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट किया गया कि विधुत आपूर्ति अथवा मौसम संबंधी व्यवधानों के कारण जलापूर्ति बाधित रखना उचित नहीं है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सख्त निर्देश निर्गत किए गए कि जब तक विधुत आपूर्ति पूर्णतः बहाल नहीं होती, तब तक संस्था डी०जी० सेट (DG Set) के माध्यम से पंप चलाकर नियमित जलापूर्ति देना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त ग्राम हरदी कला के संबंध में निर्देशित किया गया कि संस्था तत्काल बूस्टर पंप स्थापित करते हुए प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत जलापूर्ति बहाल करें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि आगामी 15 दिवस की निर्धारित समय-सीमा के भीतर समस्त आच्छादित ग्रामों में जलापूर्ति शत-प्रतिशत संतुष्ट होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में संस्था के विरुद्ध कठोर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया:

1. अधिशासी अभियन्ता (जल निगम ग्रामीण) को निर्देश:

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को सख्त निर्देश निर्गत किए गए कि जे०जे०एम० (JJM) डैशबोर्ड पर प्रदर्शित कुल 56 ग्रामों में आ रही समस्त तकनीकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराना सुनिश्चित करें तथा आगामी 07 दिवस के भीतर पोर्टल पर प्रगति को अनिवार्य रूप से 100% पूर्ण करवाना सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही, आई०जी०आर०एस० (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त 138 असंतुष्ट फीडबैक (जो कि कुल प्राप्त शिकायतों का 42.5% है) की समीक्षा के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अत्यधिक रोष एवं गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिया गया कि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता में तत्काल सुधार लाते हुए असंतुष्ट फीडबैक की संख्या को शून्य के स्तर पर ले आना सुनिश्चित किया जाए। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को यह भी स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गए कि जब तक कार्यदायी संस्थाएं समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति पूर्ण नहीं कर लेती हैं, तब तक उनके ओ०एंड०एम० (O&M) बिलिंग में अधिक से अधिक कटौती (Maximum Deductions) करना सुनिश्चित करें; यदि अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाई जाती है या कटौती नहीं की जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

2. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) को निर्देश:

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उठाई गई समस्त भूमि संबंधी प्रकरणों एवं शिकायतों की अपने स्तर से सूक्ष्म समीक्षा करें तथा संबंधित उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों व लेखपालों के माध्यम से आगामी एक सप्ताह तक लगातार स्थलीय प्रगति का अनुश्रवण (Monitoring) करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी स्तर पर भूमि निस्तारण या कार्य सम्पादन में शिथिलता पाई जाती है अथवा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रुचि नहीं ली जाती है, तो उनके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करना सुनिश्चित करें।

3. समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश :

समीक्षा के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा गम्भीर संज्ञान लिया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा एक ही पंप ऑपरेटर के भरोसे 07 से 08 ग्रामों का संचालन कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि किसी एक ग्राम में तकनीकी समस्या आती है, तो उससे संबद्ध अन्य सभी ग्रामों की पेयजल आपूर्ति स्वतः बाधित हो जाती है, जो कि अत्यंत अनुचित है। अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए गए कि वे पंप ऑपरेटरों की संख्या में तत्काल पर्याप्त वृद्धि करना सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक ग्राम में जलापूर्ति सुचारु रहे। इसके अतिरिक्त संस्थाओं को हिदायत दी गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ टीमों, कार्य दलों (Work Teams) एवं मैनुपावर में वृद्धि करते हुए, नवीन भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर, दी गई 15 दिवस की समय-सीमा के भीतर समस्त ग्रामों में सुबह एवं शाम कम से कम 02-02 घंटे पर्याप्त प्रेशर के साथ जलापूर्ति बहाल कर शत-प्रतिशत सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त करें; अन्यथा की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध Blacklist में डालने, एफ०आई०आर० दर्ज कराने तथा बिलों में कटौती सहित कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ समस्त कार्यदायी संस्थाएँ जिन जिन स्थानों पर मार्ग चौड़ीकरण (Road Widening) के दौरान पाइपलाइन

क्षतिग्रस्त हुई है अथवा कार्य बाधित हुआ है, वहाँ संबंधित विभाग (जैसे लोक निर्माण विभाग आदि) के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। इसके अंतर्गत जल निगम के संबंधित अवर अभियन्ता (JE) तथा संबंधित विभाग के अवर अभियन्ता (JE), सहायक अभियन्ता (AE) एवं अधिशासी अभियन्ता (XEN) आपस में तत्काल परस्पर समन्वय बनाकर प्राथमिकता के आधार पर अप्रोच रोड का कार्य क्लियर (Clear) कराएँ तथा पाइपलाइन की मरम्मत व री-लेयिंग का कार्य पूर्ण कराते हुए जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि पेयजल एक अत्यंत संवेदनशील तथा जनहित से जुड़ा आवश्यक विषय है। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या झूठी रिपोर्टिंग पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/अभियन्ता/कार्यदायी संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कठोर अनुशासनात्मक व विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(पवन कुमार गंगवार)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक- 14960 / कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।
3.3.13 सामा-प / 321
---000---

दिनांक: 29/09/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. आयुक्त, विंध्याचल मंडल, मीरजापुर।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), लखनऊ।
4. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), मीरजापुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
6. टीम लीडर, पी०एम०सी० (PMC) / टी०पी०आई० (TPI), मीरजापुर।
7. समस्त परियोजना प्रबंधक, कार्यदायी संस्थाएं (जल जीवन मिशन), मीरजापुर।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।